क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या : 1143/N-13/303/2020 दिनांक : .09.2022

Through E-Filling (E-mail : judicial-ngt@gov.in)

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

Sub: Regarding Action Taken Report in compliance of Hon'ble NGT order dated 25-07-2022 in the matter of Shailesh Singh Vs M/s Designco, Moradabad & ors in M.A. no. 23/2022 & 19/2022 in Original Application no. 303/2020.

Sir,

In compliance of the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal dated 25-07-2022 on matter mentioned above, action taken report is hereby attached with a request to put up before Hon'ble National Green Tribunal for kind perusal.

Enclosure- As above

Yours Sincerely,

(Vikas Mishra)
Regional Officer

Copy To: To the Following information and necessary action-

1. District Magistrate, Moradabad.
2. Shri Pradeep Mishra, Advocate for U.P. Pollution Control Board
3. CEO-7, U.P. Pollution Control Board, Lucknow
4. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow

Regional Officer

AEE CORS NEW 2022

Action Taken Report

In the matter of

Shailesh Singh Vs Designco, Moradabad & ors

(M.A. no 23/2022 & M.A. No. 19/2021 in O.A. no. 303/2020)

Hon'ble National Green Tribunal

(Order dated 25th July, 2022)

Contents

1- Background

2- Action taken

Background-

Hon'ble NGT, New Delhi has passed the order dated 25-07-2022 in the matter of Shailesh Singh Vs Designco Moradabad & Ors in (M.A. No. 23/2022 & M.A. No. 19/2021 in O.A. No. 303/2020) and directed as following –

5. *Accordingly, while in case of M/S Designco, Lakri Fazalpur, whose matter is said to be pending before the Allahabad High court, the applicant or any aggrieved party is at liberty to represent their grievance in the said matter, action needs to be taken in respect of other three identified violators i.e M/S Lohiya Brass Pvt. Ltd., M/S Dewan & Sons, and M/S C.L. Gupta & Sons in accordance with Notification dated 07.10.2016 issued by Ministry of Water Resources, River development and Ganga Rejuvenation. The State PCB may also put the alleged violators to notice of the present proceedings to enable the alleged violators to respond to this Tribunal, if so advised.*
6. *A further action taken report may be filed within one month by the District Magistrate and the State PCB by e-mail at judicialngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.*

Action taken in compliance of order dt. 25-07-2022: -

In compliance of Hon'ble NGT order dated 25-07-2022, status is as follows –

1- District Magistrate, Moradabad has directed vide letter no. 960/N-1/303/20/General dated 05-08-2022 to Moradabad Development Authority, Moradabad, Nagar Nigam, Moradabad and Flood Division, Irrigation Department, Moradabad to take appropriate action in respect of other three identified violators i.e. M/s Lohiya Brass Pvt. Ltd., M/s Dewan & Sons and M/s C.L. Gupta & Sons in accordance with notification dated 07-10-2016 issued by Ministry of Water Resources, River Development and Ganga

Rejuvenation. Apart from that U.P. Pollution Control Board, Moradabad also requested vide letter no. 948/N-13/303/20/General dated 05-08-2022 to concerned Authorities on above matter. Copies are annexed as **Annexure – 1&2**.

2- Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department , Moradabad submitted its report vide letter no. 2044/ बाखम/गागन dated 7-9-2022 stating that notice has been issued to the units in compliance of (Commissioner and Secretary, Revenue Board, U.P.) letter no. G532/11-155-रा0आ0/2021 dated 17-09-2021 and there after District Magistrate, Moradabad issued letter no. 760/ जि0भू0व्य0सहा0/2021–22 dated 18-9-2021. **Further, it was stated that as per provision made in serial no. 5 of Govt. order no. 1417 बी/09–27–सि–2–181बाढ/09 dated 16-3-2010 the action is required by the Development Authority and Nagar Nigam against violators under relevant section of respective act.** Executive Engineer, Flood Division, Irrigation Department , Moradabad also submitted letter 2135/ बाखम/गागन dated 17-9-2022. Copies are annexed as **Annexure 3& 4**.

3- Moradabad Development Authority, Moradabad submitted its report vide letter no. 1305/मु0वि0प्रा0/आर0बी0ओ0/2022–23 dated 13-9-2022. As per report, **Moradabad Development Authority, Moradabad informed that litigation has been filed by the department against illegal construction by the units and matter is under consideration**. Copy is annexed as **Annexure –5**.

4- Municipal Corporation, Nagar Nigam, Moradabad submitted its report vide letter no. 634/सम्पत्ति/न0नि0मु0/2022 dated 19-9-2022, stating **that the required action is to be taken by Moradabad Development Authority, Moradabad as well as Flood Division, Irrigation Department , Moradabad for removal of illegal construction. It was also stated that Nagar Nigam, Moradabad will assist to departments**

by its resources as and when required. Copy is annexed as Annexure – 6.

5- U.P. Pollution Control Board, Moradabad has issued notice vide letter no. 1083/N-13/303/2022, 1084/N-13/303/2022 and 1085/N-13/303 /2022 dated 07-09-2022 in respect of other three violators to respond their aspect before Hon'ble Tribunal for present proceeding. Copies are annexed as **Annexure – 7, 8 & 9**.

Regional Officer
U.P. Pollution Control Board,
Moradabad

District Magistrate
Moradabad

कार्यालय जिलाधिकारी, मुरादाबाद

पत्रांक 960/N-13/303/20 जनरल   दिनांक 5-8-22

Annexure - 1

1. उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिज़ाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) के प्रस्तर 5 में जल, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुसार नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में चिन्हित अन्य 03 उल्लंघनकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह भी अवगत हो कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में पत्रांक 774–4/आशु0/2022 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण में गागन/रामगंगा नदी के फ्लड जोन में सम्बधित इकाइयों द्वारा पाये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने संबंधी कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जो कि अभी तक अप्राप्त है।

अतः मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन में सम्बधित इकाइयों द्वारा किये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराये, जिससे मा0 अधिकरण, नई दिल्ली को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा सके।

संलग्नः यथोपरि।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपिः
1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही की सूचना मा0 राष्ट्रीय अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी
मुरादाबाद

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 948/N-13/303/2020

दिनांक 5/8/22

सेवा में,

Annexure-2

1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद।
2. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ खण्ड, सिचाई विभाग, मुरादाबाद।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के प्रस्तर 5 में जल, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुसार नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में चिन्हित अन्य 03 उल्लंघनकारी औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। यह भी अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक 774–4/आशु0/2022 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा संयुक्त निरीक्षण में गागन/रामगंगा नदी के फ्लड जोन में सम्बंधित इकाइयों द्वारा पाये गये अवैध निर्माण को हटाये जाने संबंधी कृत कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिये गये थे (छायाप्रति संलग्न)।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की विभागीय आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि तदानुसार कृत कार्यवाही की सूचना मा0 अधिकरण, नई दिल्ली को प्रेषित की जा सके। अग्रेतर उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 30.09.2022 को पुनः सूचीबद्ध है।

भवदीय

संलग्नक– यथोपरि।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure - 3

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक– 2044 /बाखमु/गांगन दिनांक–07/09/2022

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 एम.ए.न0 23/2022 एण्ड एम.ए.नं0 19/2021 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य में पारित आदेश ।
दिनांक–25.7.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ– पत्र सं0–948/एन–13/303/2020/ दिनांक–05.08.2022 एवं जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक–960/एन–13/ 303/2020 /दिनांक–05.08.2022।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण, मुरादाबाद/नोडल अधिकारी

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली को ओए.ए. सं–303/2020 शैलेन्द्र सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनकों एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–25.07.2022 के सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित टीम जिसके अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुरादाबाद थे एवं अन्य सम्बन्धित विभाग टीम के सदस्य थे। जिन्होंने नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में मौके पर दिनांक–25.05.2022 व 26.05.2022 को मौके पर चिन्हांकन किया। जिसकी संयुक्त रिपोर्ट वित्त एवं राजस्व मुरादाबाद ने सभी विभागों को प्रेषित की। संयुक्त टीम द्वारा की गयी पैमाइश के दौरान उक्त ईकाई द्वारा गांगन नदी/रामगंगा नदी के प्रवाह दिशा के वांये किनारे पर 100 मी. की दूरी के अन्दर गांगन नदी के वर्तमान प्रवाह क्षेत्र एवं डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण किया गया है, जिस हेतु शासनादेश सं0–1417 बी/09–27 –सिं–2–181बाढ़/09, दिनांक–16.03.2010, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उ0प्र0 अनुभाग–11, लखनऊ के पत्रांक जी–532/11–55–रा0आ0/2021, दिनांक–17.09.2021 एवं जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र सं0–760/जि0मू0व्य0सहा0/2021, दिनांक–18.09.2021 के द्वारा नदी के तट से 100 मी. की सीमा के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के संबंध में सिंचाई विभाग द्वारा उक्त ईकाई को नोटिस प्रेषित किये गये हैं। उपरोक्त शासनादेशों के कम में प्रस्तर संख्या–(1) के अनुसार महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इस क्षेत्रों का भू–उपयोग हरित रखा जाए एवं प्रस्तर सं0(5) के अनुसार सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों /अद्योगिक विकास प्राधिकरणों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अवैध निर्माणकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाए (शासनादेश की प्रति संलग्न है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप उक्त प्रकरण के नोडल अधिकारी हैं। उक्त अवैध निर्माण को हटाने हेतु नगर निगम/विकास प्राधिकरण को कहा जाए, क्योंकि कार्यवाही इन्हीं के स्तर से होनी है। बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद सहयोग के लिए सदैव तत्पर है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

05/09/22
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
05/09/2022

पत्रांक– 2044 /बाखमु /गांगन/तदिनांक– 07-9-2022

प्रतिलिपि–

1–जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।

2–अपर जिलाधिकारी(नगर), मुरादाबाद को जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या–388/ सी0एम0–डी0एम0–2021/21, दिनांक 15.11.2021 के क्रम में।

3–.अपर जिलाधिकारी(वि/रा) मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

05/9/22
अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद
05/09/2022

2022-2

सलग्नक सं0-3

Annexure-4

53

संख्या-1417बी/09-27-सिं-2-18बाढ़/09

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. अध्यक्ष, जल निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

सिंचाई अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 16 मार्च, 2010

विषयः- नदियों के बाढ़ क्षेत्रों (फ्लड प्लेन जोन) में अवैध निर्माण/अतिक्रमणों को प्रभावी ढंग से रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आ रहे हैं कि लगातार फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण बढ़ते ही जा रहे हैं तथा इन पर प्रभावी नियन्त्रण नहीं हो रहा है। फ्लड प्लेन में निर्माण से जहाँ एक ओर बाढ़ के समय बहाव में व्यवधान से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं, वहीं दूसरी ओर निवासियों को जान-माल हानि का खतरा रहता है। इस सम्बन्ध में पूर्व में समय-समय पर शासन द्वारा आदेश जारी किये गये हैं तथा आवास अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1773/9-आ-1-1995, दिनांक 18मई,1995 एवं शासनादेश संख्या-2432/9-आ-1अतिक्रमण/2003(आ.ब.), दिनांक 04अप्रैल,2003 में भी आदेश जारी किये गये हैं, परन्तु शासनादेशों का सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कठोरता से अनुपालन नही किया जा रहा है, जिससे नदियों के फ्लड प्लेन जोन में अवैध निर्माण/अतिक्रमण लगातार हो रहे हैं। अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैंः-

(1) महायोजनाओं के अन्तर्गत नदियों के किनारे फ्लड प्लेन जोन को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाना एवं इसमें किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होना सुनिश्चित करने हेतु इन क्षेत्रों का भू-उपयोग हरित रखा जाय। सम्बन्धित नगरों की महायोजनाओं के जोनिंग रेगुलेशन्स में फ्लड प्लेन्स के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(2) आर0बी0ओ0 एक्ट, यू0पी0अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट-1973 तथा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट एक्ट-1976 के अन्तर्गत फ्लड प्लेन जोन में किसी प्रकार के निर्माण कार्य हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी जायेगी और न ही भू-मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा। उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को रोकने हेतु उक्त अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाय।

---2---

Annexure-4

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक– 2135 /बाखमु/गांगन दिनांक–17/09/2022

विषय– प्रार्थीवादी की शिकायत/सुझाव को ओ.ए. संख्या 303/2020 में जॉच का हिस्सा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण, मुरादाबाद/नोडल अधिकारी।

उपरोक्त विषयक श्री शैलेश सिंह, 2एबी रीगल बिल्डिग, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 03.06.2022 का अवलोकन करने का करने का कष्ट करे जो आपको भी सम्बोधित है, के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के पत्रांक–774–3/आशु/2022/दिनांक 23.06.2022 द्वारा गठित जॉच समिति की जॉच रिपोर्ट में 04 बिन्दुओ पर सुझाव दिया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त सुझावी बिन्दुओ पर सिंचाई विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जानी है अपितु उक्त बिन्दुओ पर कार्यवाही मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद एवं राजस्व विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

17/09/22

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

पत्रांक– /बाखमु /गांगन/तदिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1–जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद।

2–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मुरादाबाद को उनके पत्र संख्या–सी–930/सिकामसु/जॉचजन/दिनांक 01.09.2022 के सन्दर्भ में।

अधिशासी अभियन्ता
बाढ़ खण्ड, मुरादाबाद

कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

पत्रांक 1305 / मु0वि0प्रा0 / आर0बी0ओ0 / 2022–23 दिनांकः / 13-9 / 2022

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए / आई0एन0एस0–1, आवास विकास कालोनी
बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

Annexure-5

विषयः– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–303 / 2020 (एम0ए0 नं0–23 / 2022 एण्ड एम0ए0 नं0–19 / 2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

HW 13/9/22

महोदय

कृपया कार्यालय पत्रांक 948 / एन0एच0–3 / 303 / 2020 दिनांक 05.08.2022 व अनुस्मारक पत्र सं0–1052 / एन–13 / 303 / 22 / जनरल दिनांक 02.09.2022 मयं जिलाधिकारी महोदय, मुरादाबाद के कार्यालय पत्रांक 774 / आशु0 / 2022 दिनांक 23.06. 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के प्रस्तर–5 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अनुसार नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के सम्बन्ध में चिन्हित मैसर्स डिजाइनकों को छोंडकर अन्य तीन उल्लंघन कारी औद्योगिक ईकायों **मैसर्स लोहिया ब्रास, मैसर्स दीवान एण्ड संस एवं मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड संस** के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश के क्रम में (जिसकी सुनवाई दिनांक 30.09.2022 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष नियत है।) कृत कार्यवाही की विभागीय आख्या निम्नवत हैः–

1. **मैसर्स लोहिया ब्रास, लाकडी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद।**

मैसर्स लोहिया ब्रास, लाकडी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद द्वारा प्रश्नगत भवन के अंश भाग का मानचित्र सं0–143 / 88–89 प्राधिकरण से स्वीकृत है, शेष अन्य स्वीकृत से अतिरिक्त स्थल पर समय–समय पर में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद सं0–126 / 92, 1027 / 93–94, 827 / 95, 414 / 97, सं0–527 / 1992, 530 / 2000 139 / 2001, 304 / 2001, 337 / 2002 योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा योजित वाद सं0– सं0–527 / 1992, 530 / 2000 के विरूद्ध विपक्षी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका सं0–23041 / 2002 योजित की गयी, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 31.01.2001 को निरस्त करते हुए उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को विपक्षी को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए निस्तारित करने का निर्देश प्रदान किया गया है। इसी क्रम में पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु उनके द्वारा अनाधिकृत निर्माणों / विकास कार्य रोका नहीं और न स्वयं हटाया गया एवं शमन मानचित्र एवं प्रार्थना पत्र / आवश्यक समस्त अभिलेख उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त उल्लिखित समस्त वादों में श्री विपिन कुमार गुप्ता अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति को मयं समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होने हेतु इस आशय से सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई की तिथि 23.09.2022 निर्धारित की गयी कि अन्यथा की स्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

2. मैसर्स दीवान एण्ड संस लाकडी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

मैसर्स दीवान एण्ड संस, लाकडी फाजलपुर दिल्ली रोड, मुरादाबाद में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा वाद सं0–968/1995–96, 338/2002 795/2019 व 460/2021 योजित किया गया है। विपक्षी द्वारा स्थल पर किये गये निर्माण के अनुसार शमन मानचित्र प्रस्तुत न किये जाने पर वाद सं0–968/1995–96, 338/2002 का शमन कर दिया गया है। वाद सं0–460/2021 के अन्तर्गत विपक्षी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 26.11.2021, 02.05.2022 को सूचित किया गया, जिसके क्रम में विपक्षी के प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा पूर्व में स्वीकृत/शमनित मानचित्र वाद सं0–968/1995–96 व 338/2002 के मद में जमा धनराशि की रसीदें प्रस्तुत की गयी है। शमन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यालय में स्थित मूल पत्रावली में सुरक्षित शमन मानचित्र वाद सं0–968/1995–96 व 338/2002 की कार्यालय प्रति से स्थल का मिलान किया गया। स्थल पर पूर्व स्वीकृत/शमन मानचित्र से अतिरिक्त निर्माण विद्यमान है, जिसके विरूद्ध वाद सं0–460/2021 व 795/2019 विचाराधीन है। यह भी स्पष्ट करना है कि स्थल पर विपक्षी द्वारा प्रश्नगत भवन का उपयोग औद्योगिक रूप में किया जा रहा है, जबकि पूर्व स्वीकृत/शमन मानचित्र में दर्शित उपयोग क्लब एवं मेरिज पार्टी बिल्डिंग तथा मोटर्स ट्रेनिंग सेन्टर व क्लब दर्शित है एवं पूर्व स्वीकृत/शमनित मानचित्र के विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण किये जाने पर पुनः वाद सं0–795/2019 योजित किया गया है, जिस पर विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11.11.2019, 06.01.2020, 31.03.2021, 08. 08.2022 एवं 09.09.2022 को सूचित किया गया। विपक्षी अनुपस्थित रहा है। प्रश्नगत अवैध/अतिरिक्त निर्माण के सम्बन्ध में कोई अभिलेख/प्रार्थना पत्र न ही किसी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी परिसर पर चल रहे समस्त वादों को सक्षम अधिकारी द्वारा एकजाई करते हुए **अगली सुनवाई की तिथि 23.09.2022 नियत की गयी।**

3. मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड संस फार्म हाउस निकट रामगंगा विहार, द्वितीय, मुरादाबाद।

मैसर्स सी0एल0 गुप्ता एण्ड संस फार्म हाउस, **निकट रामगंगा विहार, द्वितीय, मुरादाबाद** में किये गये अवैध निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा–27 के अन्तर्गत प्राधिकरण द्वारा वाद सं0–450/2021 योजित किया गया है, जिस पर विपक्षी को अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 23.11.2021, 08.12.2021 को सूचित किया गया। विपक्षी अनुपस्थित रहा। पुनः दिनांक 15.09.2022 की तिथि सुनवाई हेतु नियत की गयी ।

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को उनके पत्र पत्रांक 960/एन–13/303/2020/जनरल दिनांक 05.08.2022 एवं पत्रांक 774/आशु0/2022 दिनांक 23.06.2022 के क्रम में सूचनार्थ।

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

Annexure-6

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

पत्रांक 634/सम्पत्ति/न0नि0मु0/2022 दिनांक :- 19-09.22

विषय :- **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा ओ0ए0 सं0 303/2020 (एम0ए0 न0 23/2022 एण्ड एम0ए0 नं0 19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाईनको एवं अन्य मे पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 960/एन-13/303 /2020/जनरल दिनांक 05.08.2022 जोकि उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड सिचाई विभाग, मुरादाबाद को सम्बोधित है, का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या-303/2020 (एम.ए. न0-23/2022 एण्ड एम.ए. न0-19/2021) शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध मे है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-303/2020 शैलेश सिंह बनाम मैसर्स डिजाइनको, मुरादाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.01.2021 के अनुपालन मे जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद के द्वारा अपने पत्र सं0-100/एन-13/303/2020 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) की अध्यक्षता में नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निम्न विभागो के अधिकारियों की समिति गठित की गयी-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), मुरादाबाद (अध्यक्ष)
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा नामित अधिकारी।
3. सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
4. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, मुरादाबाद
5. अधिशाषी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग, मुरादाबाद।
6. अधिशाषी अभियन्ता, उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग, मुरादाबाद।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद। (नोडल)

गठित समिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं0-63/एस0टी0/न0आ0/न0नि0मु0/2022 दिनांक 24.05.2022 द्वारा 04 अधिकारियो/कर्मचारियो को नामित किया गया था -

1. मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, 2. कर निर्धारण अधिकारी, 3. क्षेत्रीय कर अधीक्षक, 4. क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक प्रथम ।

गठित समिति द्वारा दिनांक 25.05.2022 व 26.05.2022 को गागन एवं रामगंगा नदी के किनारे स्थित समस्त ईकाईयो का अद्यतन निरीक्षण किया गया, "जिसमें समिति के संयुक्त निरीक्षण दौरान प्रथम दृष्टता मैसर्स डिजाइनको, मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0लि0 एवं मैसर्स दीवान एण्ड सन्स का गागन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया तथा मैसर्स सी0ए0 गुप्ता एण्ड सन्स फार्म हाउस का रामगंगा नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पाया गया, जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग की कार्यवाही अपेक्षित है।"

मैसर्स डिजाइनको, लाकडी फाजलपुर, दिल्ली रोड, मुरादाबाद, मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0लि0, मैसर्स दीवान एण्ड सन्स एवं सी0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स को नदी के तट से 100 मीटर के अन्तर्गत अवैध निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में नोटिस निर्गत किये गये थे एवं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के द्वारा भी उपरोक्त ईकाईयो के संचालको को बिना अनुज्ञा के निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 प्रदेश नगर योजना एवं विकास योजना

Scanned with CamScanner

अधिनियम 1973 के तहत पूर्व में नोटिस प्रेषित कर वाद योजित किये गये थे, जिसका उल्लेख उक्त विभागो द्वारा समि की संयुक्त निरीक्षण आख्या में भी किया गया है।

इसके अतिरिक्त मा0 अधिकरण के पारित ओदश दिनांक 25.07.2022 के कम में क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्री कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बौद्ध विहार दिल्ली रोड मुरादाबाद के अनुस्मारक पत्र संख्या–1052/एन–13/303/22/जनरल दिनांक 02.09.2022 जो 1. नगर आयुक्त, नगर निगम, मुरादाबाद 2. सचिव, मुरादाबाद विका प्राधिकरण, मुरादाबाद 3. अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद को सम्बोधित है, जिसके द्वारा संयु निरीक्षण आख्या मे गागन/रामगंगा नदी के फ्लड जोन मे सम्बन्धित इकाईयो द्वारा पाये गये अवैध निर्माण को हटाये जा सम्बन्धी कृत कार्यवाही की विभागीय आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि नदी से तट से 100 मीटर की सीमा के अन्दर अवैध निर्माण को चिन्हित एवं धवस करना सिंचाई विभाग के साथ–साथ विकास प्राधिकरण मुरादाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निहित है। पूर्व में भी रामगं नदी के किनारे जामा मस्दिज क्षेत्र में बने अवैध निर्माणो को बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग द्वारा चिन्हित करते हुये अभिया चलाये जाने हेतु तिथि नियत की गयी थी, नियत तिथियों पर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण को धवस्त कराये जाने हे आवश्यक सहयोग एवं संसाधन (जे0सी0बी0, टैक्टर ट्राली, लेबर आदि) उपलब्ध कराये गये थे।

मा0 राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन में उपरोक्त इकाईयों द्वारा किये ग अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद एवं बाढ़ खण्ड सिंचाई विभाग द्वारा जो भी तिथि नियत की जायेंगी, उन तिथियो पर नगर निगम द्वारा आवश्यक संसाधन एवं सहयोग प्रदान किया जायेगा।

भवदीय

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), मुरादाबाद को सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मुरादाबाद।

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1083/N-13/303/2020 दिनांक 7.09.2022

सेवा में,

मैसर्स लोहिया ब्रास प्रा0 लि0,
लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद (नियर दा बैक ऑफ रीवर गागन)।

Annexure-V

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम. ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के प्रस्तर 5 में जल, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अन्तर्गत नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में चिन्हित अन्य 03 उल्लंघनकारी औद्योगिक इकाइयों जिनमें आपकी भी इकाई सम्मिलित है, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ, विधि अनुभाग से प्रकरण पर अग्रेतर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किया गया तथा प्राप्त दिशा–निर्देश दिनांक 07.09.222 के अनुक्रम में आपको निर्देशित जाता है कि आपकी इकाई के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आपको कुछ कहना है तो अपना पक्ष मा0 अधिकरण के समक्ष रख सकते है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1084/IV-13/303/2020 दिनांक 7.09.2022

Annexure-8

सेवा में,

मैसर्स सी.एल. गुप्ता एण्ड संस फार्म हाउस,
आशियाना, मुरादाबाद (नियर दा बैक ऑफ रीवर रामगंगा)।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम. ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के प्रस्तर 5 में जल, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अन्तर्गत नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में चिन्हित अन्य 03 उल्लंघनकारी औद्योगिक इकाइयों जिनमें आपकी भी इकाई सम्मिलित है, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ, विधि अनुभाग से प्रकरण पर अग्रेतर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किया गया तथा प्राप्त दिशा–निर्देश दिनांक 07.09.222 के अनुक्रम में आपको निर्देशित जाता है कि आपकी इकाई के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आपको कुछ कहना है तो अपना पक्ष मा0 अधिकरण के समक्ष रख सकते है।

भवदीय

संलग्नक– यथोपरि।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 1085/N-13/303/2020 दिनांक ...09.2022

Annexure-9

सेवा में,

मैसर्स दीवान एण्ड संस,
लाकडी फाजलपुर, मुरादाबाद (नियर दा बैक ऑफ रीवर गागन)।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम. ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. संख्या 303/2020 (एम.ए. नं0 23/2022 एण्ड एम.ए. नं0 19/2021) में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 के प्रस्तर 5 में ज़ल, संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.10.2016 के अन्तर्गत नदी के फ्लड जोन में अवैध निर्माण के संबंध में चिन्हित अन्य 03 उल्लंघनकारी औद्योगिक इकाइयों जिनमें आपकी भी इकाई सम्मिलित है, के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ, विधि अनुभाग से प्रकरण पर अग्रेतर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किया गया तथा प्राप्त दिशा–निर्देश दिनांक 07.09.222 के अनुक्रम में आपको निर्देशित जाता है कि आपकी इकाई के विरुद्ध की जाने वाली किसी भी प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में आपको कुछ कहना है तो अपना पक्ष मा0 अधिकरण के समक्ष रख सकते है।

भवदीय

संलग्नक– यथोपरि।

(विकास मिश्र)
क्षेत्रीय अधिकारी

AEE CORS NEW 2022